राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

2006—2007

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2006 – 2007

प्रस्तावना :

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 1.5.1985 से संविधान की धारा 323–बी के प्रावधानों के अन्तर्गत विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित वादों का शीध्रतम निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि गतिशील विक्रय कर विधान की सुसंगत व्याख्या की जा सके। इस अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित मामलों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) विक्रय कर विभाग के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में हो सकती थी। दिनांक 1.10.1995 से इस अधिकरण का नाम परिवर्तन कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। यह संशोधन दिनांक 24.3.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित हुए है जिनकी सुनवाई एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित की जा रही है। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित द्वितीय अपील सुनने के अधिकार प्रदान किये गये है।

3.0 *गठन :*

3.1 बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य पदस्थापित हैं। अध्यक्ष, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के (राज्य के प्रमुख शासन सचिव के समकक्ष) स्तर का अधिकारी होता है। बोर्ड के सदस्यों को राजस्व मण्डल के सदस्यों का स्तर प्रदान किया गया है। उन्हें वही मासिक वेतन एवं भत्ते देय हैं जो राजस्व मण्डल, राजस्थान के सदस्य का पद धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा राज्य के शासन सचिवों को देय है।

3.2 **कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :–**

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री डॉ. दिनेश कुमार गोयल	अध्यक्ष	26.10.2006 से निरन्तर
2.	श्री विपिन भटनागर	सदस्य	09.06.2004 से निरन्तर
3.	श्री सुभाष भार्गव	सदस्य	15.05.2006 से निरन्तर
4.	श्री एस. एल. परमार	सदस्य	20.01.2007 से निरन्तर
5.	श्री एम. एल. गुप्ता	सदस्य	20.01.2007 से निरन्तर
6.	श्रीमती इलोरा बागची	रजिस्ट्रार	23.09.2004 से निरन्तर
7.	श्रीमती मेघना चौधरी	सहा. रजिस्ट्रार	16.08.2003 से निरन्तर

3.3 कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत हैं।

3.4 सहायक रजिस्ट्रार का पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग का है इस पद पर दिनांक 11.7.1994 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत है।

4.0 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष	1	1	—
2	सदस्य	4	4	—
3	रजिस्ट्रार	1	1	—
4	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	—
5	सहायक लेखाधिकारी	1	1	—
6	निजी सचिव	2	2	—
7	निजी सहायक	1	1	—
8	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—
9	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	—
10	कार्यालय अधीक्षक	1	1	—
11	कार्यालय सहायक	2	2	—
12	वरिष्ठ लिपिक	6	6	—
13	कनिष्ठ लिपिक	12	12	—
14	वाहन चालक	4	4	—
15	जमादार	1	1	—
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	13	—
17	प्रोसेस सरवर	3	3	—

5.0 <u>बजट स्थिति</u> :

वर्ष 2006–2007 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन	दिसम्बर 2006 तक के व्यय
1	संवेतन	96,00,000	65,92,532
2	यात्रा भत्ता	4,00,000	2,68,372
3	चिकित्सा व्यय	3,65,000	2,57,158
4	वाहन संधारण	6,00,000	3,96,039
5	कार्यालय व्यय	13,35,000	10,46,435
6	पुस्तकालय	1,25,000	51,855
7	वाहन किराया	1,15,000	99,547

6.0 पुस्तकालय :

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय बैंचों एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग 6506 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 वर्षवार वाद स्थिति :

वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प) वादों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	वाद	2004	2005	2006
1.	बकाया वाद	1,440	1,549	4278
2.	दायर वाद	1,765	4,615	2617
3.	निस्तारित वाद	1,656	1,886	1655
4.	शेष वाद	1,549	4,278	5240

कर बोर्ड में विचाराधीन वादों की सुनवाई एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किए जाने का प्रावधान है। जिन वादों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवाई एकलपीठ एवं जिन वादों में यह राशि पांच लाख से अधिक है उन वादों की सुनवाई खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु वृहद् खण्डपीठ को निर्णय हेतु रेफर किया जाता है।

8.0 वर्ष दिसम्बर, 2006 तक एस.बी./डी.बी. द्वारा सुने जाने वाले विचाराधीन वादों की शेष संख्या निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	बैंच	वाद
1	एस.बी.	4645
2	डी.बी.	595

9.0 अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में योजना भवन में लगाई जाती है। जिसमें मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुनु, दौसा, एवं चुरू जिले के वादों की सुनवाई की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं अपीलार्थीयों की सुविधा हेतु जोधपुर/उदयपुर मे भी त्रैमासिक रूप से एक सप्ताह के लिए एकलपीठ आयोजित की जा रही है।

10 **नवम्बर 2006 से विशेष प्रयत्न** :

बोर्ड में विचाराधीन वादों को यथाशीघ्र निस्तारित करने हेतु मुख्य रूप से निम्न कार्यवाही की गई है :–

(1) जिन वादों में बैंच द्वारा राशि वसूली के स्थगन आदेश दिए हुए हैं ऐसे वादों की सुनवाई प्राथमिकता पर की जाकर निस्तारण किया जाता है।

(2) पुराने वादों को सुनवाई हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियत किया जा रहा है।

(3) बोर्ड में विचाराधीन परिशोधन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई बैंच के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

(4) बैंचों द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए जाते हैं उन निर्णयों को रिपोर्टिंग योग्य मार्क किया जाता हैं। उनमें विवादास्पद बिन्दु एवं उस पर दिये गये निर्णयों से बोर्ड की दूसरी बैंचों को भी उनकी जानकारी कराई जाती है ताकि निर्णयों में एकरूपता कायम रह सकें।

(5) स्टाम्प से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय पर नियमित रूप से एक पृथक एकलपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है।

(6) कार्यालय का कम्प्यूटराईजेशन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 13.54 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। राजकॉम्प विभाग द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में कार्यालय में कम्प्यूटर स्थापित कर दिये जाएगें।

(7) पुराने अनियमित वादो को ढूंढकर उनको प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु माननीय बैंच के समक्ष नियत किये गये ताकि पुराने प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जा सके।

(8) अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड के अभाव में रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष नियत प्रकरणों को पूर्ण करने के लिये एक विशेष अभियान 04.12.2006 से 30.12.2006 तक चलाया गया जिसके तहत कुल 1817 अपूर्ण पत्रावलियों में से 1154 पत्रावलियों का रिकार्ड प्राप्त कर पूर्ण कर लिया गया एवं माननीय बैंच के समक्ष सुनवाई हेतु नियत कर दिये गये।